भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1577

13 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

आवास क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी की भूमिका

†1577. श्री सचिदानन्दम आर.:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आवास क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के अंतर्गत कम निजी निवेश के क्या कारण हैं;

(ख) क्या इस संबंध में सरकार द्वारा स्थायी समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार कोई सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग): 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। इसलिए, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) सार्वजनिक भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत आवास क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहन सहित आवास से संबंधित योजनाओं और नीतियों का कार्यान्वयन करते हैं।

तथापि, किफायती आवास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता प्रदान करके उनके प्रयासों में मदद करते हैं, ताकि देश भर में पात्र शहरी लाभार्थियों को मूलभूत नागरिक सुविधाओं के साथ सभी मौसम के अनुकूल पक्के आवास उपलब्ध कराना है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने किफायती आवास क्षेत्र में निजी निवेश के प्रवाह को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं - जैसे कि निर्माणाधीन किफायती आवास परियोजनाओं पर बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को 8% से घटाकर 1% करना तथा अन्य आवास परियोजनाओं के मामले में बिना आईटीसी के

12% से घटाकर 5% करना; राष्ट्रीय आवास बैंक में किफायती आवास निधि की स्थापना; किफायती आवास को अवसंरचना स्थिति का दर्जा देना आदि।

इसके अलावा पीएमएवाई-यू के 9 वर्षों के कार्यान्वयन के अनुभव से सीख लेकर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और 01.09.2024 से देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है। इस योजना के दिशा-निर्देश https://pmay-urban.gov.in/uploads/guidelines/Operational-Guidelines-of-PMAY-U-2.pdf पर उपलब्ध हैं।

पीएमएवाई-यू 2.0 की योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार, सार्वजनिक/निजी क्षेत्र की एजेंसियों को साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी) घटक के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लाभार्थियों के लिए आवास का निर्माण करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे समयबद्ध आधार पर विभिन्न सुधारों को लागू करने और किफायती आवास में निवेश बढ़ाने के लिए सार्वजनिक/निजी एजेंसियों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए "किफायती आवास नीति" बनाए।

*****